भारत सरकार
रेल मंत्रालय

राज्य सभा
26.07.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 567 का उत्तर

दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक यात्रियों के लिए सुविधाएं

567. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की रेलगाड़ियों में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा के लिए नए डिब्बे शुरू करने की कोई योजना है ताकि उनके लिए यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक रियायत वापस लेने के क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वरिष्ठ नागरिक रियायत कब से फिर से शुरू की जाएगी, इसकी संभावित तिथि क्या है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार दिव्यांग यात्रियों को रियायत प्रदान कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): भारतीय रेल पहले से ही लिंके हॉफमैन बुश (एलएचबी) और सवारी डिब्बा कारखाना (आईसीएफ) के कोचों के साथ चलने वाली लगभग सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में अंतिम वाहन एलएसएलआरडी/एसएलआरडी (द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह-गार्ड वैन और दिव्यांगजन अनुकूल कम्पार्टमेंट) में दिव्यांगजनों के लिए एक अलग कम्पार्टमेंट की सुविधा दी गई है। इन डिब्बों में चौड़े प्रवेश द्वार, चौड़ी बर्थ, चौड़े कम्पार्टमेंट, चौड़े दरवाजों के साथ बड़ा शौचालय, व्हील चेयर पार्किंग क्षेत्र आदि होते हैं। शौचालयों के अंदर, सहारे के लिए साइड की दीवारों पर अतिरिक्त ग्रैब रेल और उपयुक्त ऊंचाई पर वॉश बेसिन और दर्पण भी उपलब्ध होते हैं।

s.k

इसके अलावा, सभी वंदे-भारत गाड़ियों में दोनों छोर पर ड्राइविंग सवारी डिब्बों में दिव्यांगजनों के लिए स्वचालित प्लग टाइप चौड़ा प्रवेश द्वार, पार्किंग व्हील चेयर के लिए चिह्नित स्थान, व्हील चेयर के संपूर्ण संचलन के लिए बड़ा शौचालय क्षेत्र, ब्रेल संकेतक, कम ऊंचाई वाला वॉश बेसिन, उपयुक्त ऊंचाई पर हैंडरेल सहित पश्चिमी शौचासन आदि जैसी सुविधाओं का प्रावधान होता है।

(ग) से (ङ): भारतीय रेलवे समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है और 2022-23 में यात्री टिकटों पर 56,993 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। यह रेल में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 46% रियायत के बराबर है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी है। इसके अलावा, इस सब्सिडी राशि से परे अन्य रियायतें कई श्रेणियों जैसे विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) की 4 श्रेणियों, रोगियों की 11 श्रेणियों और छात्रों की 8 श्रेणियों के लिए जारी हैं।

*****

s.k